

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 16/2018

RCMS Reg. 2018/00044

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

–प्रार्थी निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री नाथूलाल तलाटी निवासी बागीदौरा ग्राम पंचायत बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बागीदौरा पंचायत समिति बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित

श्री योगेश सोमपुरा, अभिभाषक,

–प्रार्थी निगरानीकर्ता

श्री राजकुमार जैन, अभिभाषक।

–अभिभाषक –अप्रार्थी


निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20-12-2019

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत बागीदौरा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 की धारा 157 के तहत आबादी भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 का 1815 वर्गफिट भूमि का पट्टा जारी किया है वह विधि विरुद्ध होने के कारण पंचायत समिति बागीदौरा की स्थापना व प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 30.01.2018 के द्वारा पट्टा निरस्त करने के लिये विकास अधिकारी, बागीदौरा ने पट्टा निरस्त करने यह निगरानी इस



  
(नरेश बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा


न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरीये समन तलब किया गया।

2 प्रार्थी निगरानीकर्ता का कथन है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत 50 वर्ष से अधिक का पुराना घर बना होने एवं कब्जा होने की साक्ष्य पर पट्टा जारी किया जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। धारा 140 में आबादी को परिभाषित किया है एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया धारा 140 से 155 तक में निर्धारित की गई है। धारा 156 (2) अनुसार डीएलसी दर से राशि लेने का प्रावधान होने के बाजूबद ऐसा न कर भू-खण्ड का पट्टा दे दिया है जो विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि पंचायत के अंकेक्षण वर्ष 2008-09 से 2009-10 में भी पंचायत नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने को विधि विरुद्ध एवं प्रावधानों की अवहेलना होना बताया है।

3 इस प्रकार ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा विधि विरुद्ध, गैरकानूनी एवं विधिक प्रक्रिया की पालना न कर, डीएलसी दर से राशि वसूल न कर अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी किया गया है, जिसे निरस्त करने निवेदन किया।

4 प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 28.11.2019 को अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

5 अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 26.07.2019 को जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विकास अधिकारी हितबद्ध नहीं है, प्रशासन एवं स्थापना समिति ने दिनांक 30.01.2018 को बिना अधिकार के प्रस्ताव पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। पंचायत द्वारा जारी पट्टे का नियमानुसार पंजीयन कराया है। धारा 141 से 157 तक में क्या विधि विरुद्ध कार्य किया है, स्पष्ट नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 1 का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत ने नियमों की पालना एवं साक्ष्य के आधार पर पट्टा जारी किया है जिसे निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा निलामी अथवा आपसी बातचीत में नहीं दिया है एवं अधिकतम 200/- शुल्क पर दिया गया है। धारा 157 के तहत पुराने मकानों का बाजार मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला परिषद द्वारा करवाई गई जाँच एक तरफा है। अप्रार्थी सं. 1 का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली, प्रस्ताव रजिस्टर तलब कर सत्यता की जाँच की जा सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए पुराने मकानों का

  
(अनिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

पट्टा नियमानुसार जारी किया है जिसे निरस्त करने के लिए प्रार्थी निगरानीकर्ता का कोई अधिकार नहीं होने से निगरानी निरस्त करने निवेदन किया।

6 अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस तामील हुआ, लेकिन न तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ, न उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुआ एवं न ही इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत किया, फलस्वरूप अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाकर बहस सुनी गई।

7 वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर टोकनमनी पर पट्टे जारी कर दिये हैं, मौके पर मकान बना होने का कोई साक्ष्य नहीं ली है, डीएलसी दर पर बातचीत नहीं कर पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को हानी पहुंचाई है। इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा भी आक्षेप गठित किया जाकर अन्तर राशि सम्बन्धित पट्टाधारी से वसूल कर पालना चाही जा रही है। वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि यदि पट्टाधारी राशि जमा कर देता है तो पट्टा निरस्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, राशि पीडीआर एक्ट के तहत भी वसूल की जा सकती है। बहस के अन्त में निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त करने निवेदन किया।

8 वकील प्रार्थी सं. 1 ने बहस में अपने लिखित कथन को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत समिति हितबद्ध नहीं है, प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पारित प्रस्ताव विधिक नहीं है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है, इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिये प्रार्थी की निगरानी निरस्त करने निवेदन किया।

9 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया।

10 पंचायत अधिनियम की धारा 157 में पुराने मकानों का पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं, लेकिन मकान का कब्जा पुराना है या नहीं, की दरस्तावेजी साक्ष्य होनी चाहिये। ग्राम पंचायत के हित में बातचीत के जरीये डीएलसी दर पर ग्राम पंचायत को नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने चाहिये। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार एवं अधिनियम के प्रावधानों की पालना




*(Handwritten signature)*  
(नरेश बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बालसवार

करते हुए पट्टा जारी किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में पट्टा नियमों के विहित प्रक्रिया प्रावधानों की पालना करते हुए जारी किया गया हो, इसका सत्यापन नहीं हो सकता है। बिना इसके सत्यापन के पट्टा विधि विरुद्ध जारी होने की उपधारणा ही की जा सकती है। इस कारण ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम पट्टा सं. 100 को बिना ठोस साक्ष्य के निरस्त किया जाना भी उचित नहीं है। विकल्प के रूप में हमारा यह भी मत है कि यदि पट्टाधारी आक्षेपित राशि जमा कराता है तो पट्टा यथावत भी रखा जा सकता है।

- 11 अतः प्रार्थी विकास अधिकारी बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेप की पालना में गत 9-10 वर्षों में आक्षेपित राशि की वसूली के कोई प्रयास किये गये या नहीं इस बारे में प्रार्थी निगरानीकर्ता ने कोई कथन नहीं किया है। आक्षेपित अन्तर राशि की वसूली के ठोस प्रयास नहीं करना भी पाया जाता है। इसलिए विकास अधिकारी बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि पट्टाधारी से निर्णय दिनांक से 6 माह में आक्षेपित राशि वसूलने के पूर्ण प्रयास करे। इस अवधि तक राशि जमा हो जाती है तो पट्टा यथावत रहेगा एवं नियत अवधि तक भी आक्षेपित राशि जमा नहीं कराने पर पट्टा निरस्त किया जावेगा।



निर्णय आज दिनांक 20-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( नरेश चंद्र बुनकर )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

